

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

लय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) खण्डेला
 सुज लखर बनाम लक्ष्मी लखर.....
 कदमा दावा - यौषणा मुकदमा नं. FT-115/2019 सन् 2019

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
08/19	<p>वकील वादी की मजतापत्र ने हालि अदालत होकर वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज फिल्टर किया जावे, उत्तिवादीगण की तलकी जर्मि सम्मत की जाण्ट पत्रावली दिनांक 30/08/19 की पेश हो।</p>	
30/08/19	<p>पत्रावली पेश हुए। लखनवाय लय पत्रावली पेश आदरितुसार आदरितुसार दिनांक 06/09/19 को पेश हो।</p>	
27/09/19	<p>दिलजाही पेची केने पर पत्रावली पेश आदरितुसार आदरितुसार दिनांक 01/10/19 को पेश हो।</p>	
01/10/19	<p>वकील वादी उप. उत्तिवादी सं. 1, 2 की तामील पूर्व में सम्मक लप से होकर लौटी हैं। बावजूद सम्मक तामील उक्त उत्तिवादीगण की ओर से कोई हालि अदालत नहीं आया हो। अतः उत्तिवादी सं. 1 व 2 के बिलह एक फर्दीम कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। उत्तिवादी सं. 3 की तामील जर्मि रजिस्टर्ड एन्डी. किमें एक माह से अधिक का समय ठे गया</p>	

हैं। कावपूर जिल्हातील उक्त जमिंदारी
 की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं
 आया है। अतः जमिंदारी सं. 3 के विरुद्ध
 एक पक्षीय कार्यवाही समल में लई जाती है।
 वकील वादी ने प्रमाण में मुताबिक अनुतोष
 दावा डिक्री किया जाने का निवेदन किया।

मुताबकी, फतावली पर उपर्युक्त राजस्व
 रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया जिनके
 अवलोकन से वादी का वाद स्वीकार किया
 जाने योग्य प्रमाण माने पर न्यायहित में
 स्वीकार किया जाता है तथा प्रमाण में
 घोषणा इस आशय की जाती की जाती
 है कि :-

निर्णय

तन ग्राम पावण्डीकीवाणी प. ह. कावडी
 तहसील खण्डेला अवस्थित कृषि भूमि ख. नं.
 486 एका 3.02 है. में से दक्षिणी सीमा के लहोरे,
 पूर्व-पश्चिम लम्बाई 124 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर
 0.0496 है. तथा पूर्वी सीमा की ओर उत्तर
 की तरफ दक्षिणी-उत्तर लम्बाई 52 मीटर, चौड़ाई
 4 मीटर 0.0208 है. इस प्रकार ख. नं. 486
 में से 0.0704 है. भूमि तथा ख. नं. 493 एका
 1.97 है. में से उत्तरी सीमा के लहोरे पूर्व-
 पश्चिम लम्बाई 254 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर 0.1016
 है. तथा पूर्वी सीमा के लहोरे दक्षिणी तरफ
 उत्तर-दक्षिण लम्बाई 52 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर
 0.0208 है. इस प्रकार ख. नं. 493 में से

1-10-19

0.12.24 है। भूमि जो राज्य सञ्चार के हक में आम एस्टा के उपयोग के लिए मुताबिक वाकिया के समर्पणतामा मय नजरी तन्वशा गैर मु. आम एस्टा घोषित किया जाता है। लमर्पण में दी गई 1928 कमीटर भूमि जो अतिवादी सं. 3 से रहन मुक्त किया जाना इसके बदले शैष कची भूमि ख. नं. 481, 493 के शैष एन्वा की भूमि या अतिवादी सं. 3 का रहन दर्ज किया जावे। उक्तानुसार एजस्व रेकोर्ड में कमल दामद है। तदनुसार पचा डिक्री सूतीव है। उक्त एस्टा गै. मु. सिवायचक सार्वजनिक दर्ज किया जावे। उक्त एस्टा का पूर्णतः उपयोग / उपयोग सार्वजनिक होगा। पत्रावली फंसल शुभा हैकर नम्बर से जन्म है तथा बाद तजमील दाखिल दर्ता है। निर्णय छुले न्यायालय में सुनाया गया।

for
1.10.19

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

अंतिम डिग्री मुकदमा इस्तदाई

(से. 20 रूल 6-7 जास्ता दीवानी)

अब अदालत सहमक कलक्टर फास्ट ट्रेक मुकाम खंडेला

व इजलास श्री लज्जात सिंह, RAS

① सुनकर बनाम ② भूमिधारी लक्ष्मी लाल खंडेला
इस वकत घोषणा

मुकदमा नं. 115 रान 2019

यह मुकदमा आज वारते इनफिनात वतई सबर श्री लज्जात सिंह, RAS

व हाजिरी श्री लज्जात सिंह गिनजा निब मुदई रुबरु


गिनजा निब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि

तक ग्राम पापडा/कीठाणी प.ह. वकील लक्ष्मी लाल खंडेला अवस्थित कृषि भूमि
ख.तं. 486 (एक) 3.04 हे. में से दक्षिणी सीमा के सहित, पूर्व-पश्चिम लम्बाई
125 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर, 0.0496 हे. तथा पूर्वी सीमा की ओर उत्तर
की तरफ दक्षिणी-उत्तर लम्बाई 52 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर 0.0208 हे. इस प्रकार

निज मुकदमा बाबत
अर्जी इस मुकदमा के मय सूत मशरह फीसती गानाना आज की तारीख से
तारीख अदायगी तक का अदा करें।

मसक्त गेरे दरतखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01 माह 10 रान 2019 को जारी की गई।

[Signature]
दस्तावेज नं. 19
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) साखंडेला



मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प तकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			वाबत इजराय हुकमनामा		
वाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिफ		
मुतफरिफ					

मीजान

* पालिका कार्यालय जाते राजपूत निवासी पक्ष
खंडेवा पिला सीकर राज.

जाणा तहसील

-वादी

* ② पटवारी हलका ^{खनाम} वावडी

③ एच.डी. एफ. सी. वेंक लि. शाखा चौमू (जमपूर) जरीये मेनेजर

-उतिवादीगण

* ख. नं. 486 में से 0.0704 है. भूमि तथा ख. नं. 493 लम्बा 1.97 है.
में से उत्तरी सीमा के सहित पूर्व-पश्चिम लम्बाई 254 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर
0.1016 है. तथा पूर्वी सीमा के सहित दक्षिणी तर्फ उत्तर-दक्षिण लम्बाई
58 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर 0.0208 है. इस प्रकार ख. नं. 493 में से 0.1224
है. भूमि को राज्य सरकार के हक में आप एल्लो के उपयोग के
लिए मुताबिक वादिया के समर्पणनामा मय नजी नक्शा गेट मु. आप
एल्लो घोषित किया जाता है। समर्पण में दी गई 1528 वर्गमीटर
भूमि को उतिवादी सं. 3 से हक मुक्त किया जाकर इसको
बदले शेष बची भूमि ख. नं. 486, 493 के शेष लम्बा
की भूमि पर उतिवादी सं. 3 का हक दर्ज किया जावे। उक्त
एल्लो गेट मु. सिवायक सार्वजनिक दर्ज किया जावे। उक्त
एल्लो का पूर्णतः उपयोग / उपयोग सार्वजनिक होगा। अतः
राजस्व रेकार्ड में अमल दामद हो।



[Signature]
1.10.19
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेवा